

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
अधिसूचना

का0आ0सं0:- 06/अ0प्र0-2-5/2023

5316

पटना, दिनांक:- 19/9/23

विभागीय अधिसूचना संख्या 12043 सह पठित ज्ञापांक 12044 दिनांक 19.10.2016 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्तीय उन्नयन योजना एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्तीय योजना का लाभ देने हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के रूप में नामित ई0 नुरुल ऐन इशरत, कार्यपालक अभियंता के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1646 दिनांक 31.01.2015 के आलोक में उक्त कमिटी में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के रूप में श्री खलीकुज्जमा, मुख्य अभियंता-1 (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को मनोनित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


15/9/2023
(संजय दूबे)

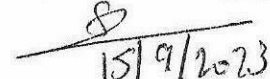
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 06/अ0प्र0-2-5/2023

5317

पटना, दिनांक:- 19/9/23

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना /अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15/9/2023
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 06/अ0प्र0-2-5/2023

5317

पटना, दिनांक:- 19/9/23

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/उप सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/श्री खलीकुज्जमा, मुख्य अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15/9/2023
सरकार के विशेष सचिव